पीठासीन अधिकारी हनुमान सिंह तहसीलदार (RTS) सरदारशहर

प्रा.पत्र 01/2022 सन् 2022 ता.फैसला 03.02.2022

1. रामलाल पुत्र अर्जुनराम जाट निवासी रामसीसर भेड़वालिया तहसील सरदारशहर

:—प्रार्थी

बनाम

1. उदाराम पुत्र रूघाराम जाट निवासी रामसीसर भेड़वालिया तहसील सरदारशहर
2. जेठाराम पुत्र रूघाराम जाट निवासी रामसीसर भेड़वालिया तहसील सरदारशहर
3. रामकुमार पुत्र रूघाराम जाट निवासी रामसीसर भेड़वालिया तह.सरदारशहर
4. रणजीत पुत्र रूघाराम जाट निवासी रामसीसर भेड़वालिया तहसील सरदारशहर
5. चुनाराम पुत्र रूघाराम जाट निवासी रामसीसर भेड़वालिया तहसील सरदारशहर
6. चावली पत्नि रूघाराम जाट निवासी रामसीसर भेड़वालिया तहस.सरदारशहर

:—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 रा.का.अधिनियम 1955

:—निर्णय:—

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि प्रार्थी का खेत ख. नं. 351 तादादी 7.92 हैक्टे.रोही मौजा रामसीसर भेड़वालिया में स्थित है। उक्त खसरा नं. के खेतं में काश्त आदि करने के लिए प्रार्थी हमेंशा से ही गांव रामसीसर भेड़वालिया के जीएसएस के पास से फंटकर सदामत का रास्ता जो ख.नं. 349 में प्रवेश कर ख.न. 351 प्रार्थी के खेत में जाता हैं। प्रार्थी विगत 50 वर्षों से उसी सदामत के रास्ते का प्रयोग करता आ रहा है क्योंकि प्रार्थी के खेत में जाने के लिए अन्य कोई कटाणी रास्ता नहीं है । उक्त सदामत के रास्ते को इस बार खेत खसरा 349 के खातेदार (अप्रार्थी सं 01 से 06) ने [illegible] दिया। उक्त रास्ता अवरूद्ध हो जाने से प्रार्थी के खेत में [illegible] पड़ा। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि प्रार्थी हमेशा से इसी रास्ते से अपने खेत में आवागमन करते आ रहे है तथा उक्त रास्ता पीढीयों से यहीं से गुजरता था लेकिन अब अप्रार्थीगण ने उक्त सदागत के रास्ते से जाने के लिए रूकावट पैदा की और कहा कि हम इस रास्ते से नहीं जाने देंगे व समझाईश करने पर मारपीट पर उतारू हो गये। जबकि प्रार्थी ने अंकित किया है कि हम पीढीयों से इसी रास्ते से गांव के पास के जीएसएस से फंटकर अप्रार्थीगण से खेत से होकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Singh
Date: 2022.02.16 11:43:48 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय–तहसीलदार सरदारशहर

तहसीलदार
सरदारशहर

आवागमन करते रहे हैं इसके अलावा अन्य कोई रास्ता हमारे खेत में आवागमन का नहीं है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के अनुसार सुविधा एवं संतुलन के आधार पर यही रास्ता सुविधाजनक है एवं प्रार्थी को इसी रास्ते का सुखाधिकार भी प्राप्त है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि हमारे खेत में जाने के लिए एवं कृषि कार्य उपयोग के लिए रास्ते के अभाव में परेशानियां पैदा हो रहीं है तथा हम फसल काश्त करने से भी वंचित रह रहे है।

प्रार्थीग द्वारा अपने खेत का रास्ता खुलवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर हमने पत्रावली मे उपलब्ध तथ्यों के आधार पर प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 में दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया उक्त प्रकरण में हल्का पटवारी रिपोर्ट प्रार्थी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 29.11.2021 द्वारा पहले ही प्राप्त हो चुकी थी जिसको शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस की विधिवत तामील हो चुकी है। अप्रार्थीगण की ओर से नोटिस के जवाब में पत्रावली में निर्धारित तारीख पेशी पर अधिवक्ता श्री श्रवणसिंह ने वकालतनामा प्रस्तुत किया व जवाब हेतु समय चाहा।

उक्त क्रम में पत्रावली में निर्धारित तारीख पेशी दिनांक 28.01.2022 को अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री श्रवणसिंह राठोड़ ने जवाब प्रस्तुत न करके प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और जवाब हेतु एक और अवसर की मांग की। हमने न्याय हित में अप्रार्थी अधिवक्ता को एक और अवसर दिया जाकर आगामी तारीख पेशी दिनांक 31.01.2022 निर्धारित की। इसी बीच प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र श्रीमान जिला कलक्टर महोदय चूरू के समक्ष प्रस्तुत कर उक्त सदामत का रास्ता खुलवाने हेतु निवेदन किया। श्रीमान जिला कलक्टर महोदय चूरू द्वारा प्रकरण सतर्कता में दर्ज किया जाकर अधोहस्ताक्षरकर्ता से अविलम्ब रिपोर्ट चाही गयी। उक्त क्रम में प्रार्थी स्वयं व अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पीठासीन अधिकारी से स्वयं मौका निरीक्षण की मांग की।

पीठासीन अधिकारी ने न्याय हित में दिनांक 29.01.2022 को स्वयं मौका निरीक्षण की कार्यवाही की। इसके बाद निर्धारित तारीख पेशी दिनांक 31.01.2022 को अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया और अपने जवाब में अंकित किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मिथ्या व झूठा है जिसको खारिज किया जाना उचित है। साथ ही यह भी अंकित किया कि प्रार्थी के खेत में जाने के लिए एक और रास्ता लगता है खसरा सं. 376 में से होकर खसरा सं. 376 व 346 की सींव सींव होते हुए खसरा सं. 351 प्रार्थी के खेत तक जाता है। इसके बाद दोनों पक्षों को सबूत सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाने के बाद हमने पत्रावली को निर्णय हेतु दिनांक 03.02.2022 मे रखां

पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों, प्रकरण की विषयवस्तु तथा प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र में अंकित तर्क, हल्का पटवारी रिपोर्ट के द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत

कार्यालय-तहसीलदार सरदारशहर
Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Singh
Date: 2022.02.16 11:43:48 IST
Reason: SelfAttested
तहसीलदार
सरदारशहर

प्रार्थना पत्र की सत्यता की पुष्टि एवं मौका निरीक्षण के समय स्थिति जिसमें फसल खड़ी होने के बावजूद दृश्य होने वाले रास्ते के चिह्न से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी हमेशा से ही अपने खेत में काश्त आदि करने के लिए ख. न. 349 से होते हुए खसरा नं. 351 में आवागमन करता था और यही रास्ता प्रार्थी के लिए सुगम व सुविधाजनक है और इसी सदामत के रास्ते का प्रार्थी को सुखाधिकार प्राप्त है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थीगण ने प्रार्थी का सदामत का रास्ता रोक लिया है जिसका अप्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं है।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, हल्का पटवारी रिपोर्ट, व पत्रावली में उपलब्ध तत्थ्यों, अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब, एवं मौका निरीक्षण के समय की स्थिति के आधार पर पत्रावली का सूक्ष्मता से अद्योपान्त अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के अनुसार कोई भी रास्ता जो बंद कर दिया है उसे खुलवाने का प्रावधान है तथा कानून के सारभूत प्रावधानों के अनुसार सदामत के रास्ते को रोकने का किसी भी व्यक्ति को कोई विधिक अधिकार भी नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा रोका गया रास्ता जिसके रूक जाने से प्रार्थी का अपने खेत में आना जाना बंद हो गया है तथा प्रार्थी का खेत काश्त से वंचित रह गया है एवं प्रार्थीगण को धन पशु आदि की सार संभाल में भी भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

अतः गैर कानूनी रूप से रोके गये उक्त रास्ते को खुलवाना हम उचित समझते है ताकि प्रार्थी या उनकी तरफ से कोई काश्तकार खेत खसरा नं. 351 में आना–जाना कर सके। अतः आदेश दिया जाता है कि खसरा नं. 349 के खातेदारों द्वारा अवरोध लगाकर रोका गया उक्त सदामत का पूर्व प्रचलित रास्ता जो मौके पर भी ख.नं. 349 से गुजरता हुआ स्पष्ट दिखायी दे रहा है को खुलवाया जावें। संबंधित हल्के के भू.अ.नि. को निर्णय की पालना हेतु लिखा जावे। निर्णय आज दिनांक 03.02.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार
सरदारशहर

कार्यालय–तहसीलदार सरदारशहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Hanuman Singh
Date: 2022.02.16 11:43:48 IST
Reason: SelfAttested